न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 01/2025

1. रनविन्द्र कौर पत्नी श्री हरवंश सिंह जाति तरखान निवासी सैक्टर नं0 9/1 हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. अमनदीप सिंह पुत्र श्री हरवंश सिंह जाति तरखान निवासी सैक्टर नंबर 9/1 हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

अपीलांट

बनाम

1. अन्जू गुप्ता पत्नी श्री रजनीकान्त जाति जैसवाल निवासी वाटर वर्क्स की टंकी के पास, जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (भू०अ०) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ़ आदेश क्रमांक 208/121 दिनांक 16.05.2023 जिसकी रूह से रेस्पोडेंट सख्या 1 की कृषि भूमि की पैमाईश कर अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की कृषि भूमि में करीब 6 फुट चौड़ी व 3 बीघा लम्बी भूमि पर निशानदेही कर रेस्पोडेंट सख्या 1 को कब्जा दिलाया गया जिससे अपीलाण्ट की कृषि भूमि कम हो गई, बमुराद मन्सूखी उक्त आदेश व स्वीकार किए जाने अपील।।

उपस्थितः— 1. श्री भवानी सिंह निर्वाण अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मनोज अरोड़ा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकिय अधिवक्ता।

—:निर्णयः—

दिनांकः—31.07.2025

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट संख्या 1 के नाम से चक 16 एल.एल डब्ल्यू. बी तहसील हनुमानगढ के खाता सं० 46/3 पत्थर नंबर 99/225 (17) किला नंबर 21, 22 व पत्थर नंबर 99/226 (22) किला नंबर 1, 2, 10, 11, 20, 21 कुल 2.024 हैक्टेयर नहरी व अपीलाण्ट संख्या 2 के नाम से इसी चक के खाता संख्या 3/3 के पत्थर नंबर 99/226 (22) किला नंबर 9, 12, 19, 22 कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अपीलाण्ट माता व पुत्र है, जिनके नाम की कृषि भूमि संयुक्त रूप से काश्त की जाती है। अपीलाण्ट की कृषि भूमि के चिपते ही रेस्पोडेंट सख्या 1 की कृषि भूमि चक 16 एल.एल.डब्ल्यू "बी" तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 2/3 में पत्थर नंबर 98/226 (21) किला नंबर 15, 16, 25 कुल 0.759 हैक्टेयर नहरी है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के सीमाज्ञान के आवेदन पत्र पर रेस्पोडेंट सख्या 2 द्वारा अपने आदेश क्रमांक 208/121 दिनांक 16.05.2023 को सीमाज्ञान करने के आदेश पारित किये गये जिसके आधार पर पटवारी हल्का हिरनावाली द्वारा दिनांक 18.05.2023 को रेस्पोडेंट संख्या 1 की कृषि भूमि की पैमाईश करते हुए अपीलाण्ट संख्या 1 के नाम व कब्जा काश्त की कृषि भूमि के पत्थर नंबर 99/226 के किला नंबर 11, 20, 21 में पश्चिमी सिरा पर करीब 6 फुट चौडाई व 3 बीघा लम्बाई में निशानदेही देकर रेस्पोडेंट संख्या 1 को मौका पर कब्जा दिलवा दिया गया व अपीलाण्ट की कृषि भूमि की कोई पैमाईश नहीं की गई जिसके कारण अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की कृषि भूमि कम हो गई जबकि उक्त सीमाज्ञान करते समय अपीलाण्ट की कृषि भूमि के किलो को भी पूरा करके निशानदेही देकर मौका पर कब्जा दिलाया जाना था लेकिन रेस्पोडेंट सख्या 2 द्वारा विधि विरूद्ध रूप से मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 की कृषि भूमि की

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पैमाईश कर अपीलाण्ट की कृषि भूमि को कम कर दिया गया जो किसी भी प्रकार से विधिसम्मत व न्यायोचित नहीं है। रेस्पोडेंट सख्या 1 के आवेदन पत्र के आधार पर रेस्पोडेंट सख्या 2 द्वारा सीमाज्ञान करते हुए अपीलाण्ट संख्या 1 की कृषि भूमि के पत्थर नबर 99/226 के किला नंबर 11, 20, 21 में पश्चिमी सिरा पर करीब 6 फुट चौडाई व 3 बीघा लम्बाई में निशानदेही देकर रेस्पोडेंट संख्या 1 को मौका पर कब्जा दिलवा दिया गया व अपीलाण्ट की कृषि भूमि की कोई पैमाईश नहीं की गई जिसके कारण अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की कृषि भूमि कम हो गई जबकि उक्त सीमाज्ञान करते समय अपीलाण्ट की कृषि भूमि के किलो को भी पूरा करके निशानदेही देकर मौका पर कब्जा दिलाया जाना था लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा विधि विरुद्ध रूप से मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 की कृषि भूमि की पैमाईश कर अपीलाण्ट की कृषि भूमि को कम कर दिया गया जिससे अपीलाण्ट के साम्पतिक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। उक्त सीमाज्ञान धौरी खाले को आधार मानकर किया गया जबकि उक्त धौरी खाला टैडा–मेडा था जिससे रेस्पोडेंट संख्या 1 के आवेदन पत्र के आधार पर कृषि भूमि का भौतिक रूप से सीमाज्ञान नहीं किया जा सकता था. कृषि भूमि का सीमाज्ञान पत्थर को पुख्ता निशान मानकर डीजीपीएस मशीन से ही किया जा सकता था जिससे कृषि भूमि की सही पैमाईश हो सकती थी। उक्त सीमाज्ञान अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में किया गया। पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट के पति व पिता के खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवाकर उस पर दैनिक डायरी तैयार की गई है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के सीमाज्ञान करवाने के उपरांत अपीलाण्ट की कृषि भूमि कम हो जाने पर अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेंट सख्या 2 के समक्ष सीमाज्ञान करवाने हेतु बार बार आवेदन किये गये लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा आज तक अपीलाण्ट की भूमि की पैमाईश कर अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि को पूरा नहीं किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 के आदेश के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.05.2023 को रेस्पोडेंट सख्या 1 की भूमि का सीमाज्ञान कर अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की कृषि भूमि में निशानदेही दे दी गई जिससे अपीलाण्ट की कृषि भूमि कम हो गई जिस पर अपीलाण्ट ने रेस्पोडेंट संख्या 2 के समक्ष अपीलाण्ट कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु बार–बार आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अपीलाण्ट की कृषि भूमि का सीमाज्ञान किये जाने हेतु बार बार आश्वासन दिया जाता रहा लेकिन आज तक रेस्पोडेंट सख्या 2 द्वारा अपीलाण्ट की कृषि भूमि की पैमाईश कर उसको पूरा नहीं किया गया है तब अपीलाण्ट ने कानूनी राय लेने के लिए अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होनें बताया कि आपको उक्त समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर दिखानी होगी तब अपीलाण्ट ने अविलम्ब ही आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 03.12.2024 को प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से पत्रावली का अवलोकन करवाया तो उन्होने आक्षेपित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी जिस पर अपीलाण्ट आज बिना किसी देरी के यह अपील प्रस्तुत कर रहे है। ज्ञान के दिवस से यह अपील अन्दर मियाद है। मियाद माफी हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईश डीजीपीएस मशीन से करवाई जाकर निशानदेही देकर मौका पर अपीलाण्ट को निशानदेही के आधार पर कब्जा दिलाये जाने का आदेश रेस्पोडेंट संख्या 2 को आदेश फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्ट सं0 02 की ओर से अभिभाषक श्री भवानी सिंह निर्वाण उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईश डीजीपीएस मशीन से करवाई जाकर निशानदेही देकर मौका पर अपीलाण्ट को निशानदेही के आधार पर कब्जा दिलाये जाने का आदेश रेस्पोडेंट संख्या 2 को आदेश फरमाया जावे।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपनी बहस में कथन किये की प्रार्थीया द्वारा अपनी कृषि भूमि की पैमाईश कर राजस्व रिकार्ड मे दर्जानुसार कृषि भूमि का कब्जा दिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18–5–2023 को प्रश्नगत कृषिभूमि की पैमाईश की गयी उस रोज अपीलान्ट सं–1 के पति व अन्य काश्तकार मौजूद थे। जिनकी मौजूदगी मे पैमाईश की गयी है। पटवारी हल्का की दैनिक डायरी में अपीलान्ट सं–1 के पति के हस्ताक्षर है। पटवारी हल्का द्वारा पैमाईश के पूर्व अपीलान्टान को पैमाईश से पूर्व सूचित किया गया था, जिसकी सूचना के आधार पर ही अपीलान्ट के पति/पिता प्रश्नगत आराजी की पैमाईश के समय उपस्थित थे जिनकी उपस्थिति मे पैमाईश की गयी है और पटवारी हल्का पर आक्षेप लगाया गया है कि उनके खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवाये है, यह तथ्य सरासर मिथ्या अकिंत किया गया है, अन्य काश्तकारान के भी हस्ताक्षर भी है। अपीलान्टान को पूर्व से ही प्रश्नगत आराजी की पैमाईश का ज्ञान था। अपीलान्टान ने मिथ्या आधारो पर मियाद प्राप्त करने के आशय से अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र मे सीमाज्ञान करवाने जाने हेतू बार–बार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के कथन दर्ज किये है तथा यह दर्ज नहीं किया है कि कब–कब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये, ऐसी स्थिति मे मियाद बाहर अपील है, जो किसी भी सूरत मे स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.05.2023 जो विधि अनुसार है इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम दफा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट के विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है। पत्रावली के अवलोकन में पाया कि–

1. रेस्पोडेंट संख्या 01 के सीमाज्ञान आवेदन पर तहसीलदार भू.अ. हनुमानगढ़ द्वारा आदेश कमांक 208/121 दिनांक 16.05.2023 को सीमाज्ञान करने का आदेश पारित किया, जिसकी पालना में पटवार हल्का हिरनावाली द्वारा दिनांक 18.05.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की कृषि भूमि की पैमाईश कर निशानदेही दी गई।
2. अपीलांट्स का कथन है की उक्त पैमाईश से अपीलांट के कब्जा काश्त की कृषि भूमि कम हुई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी दिनांक 05.06.2023 एवं अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2023 एवं 30.06.2023 पेश किये है। सीमाज्ञान के आवेदन पर अपीलाट्स की कृषि भूमि की पैमाईश नहीं हुई है

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार फरमाई जाकर प्रकरण तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनकर राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपीलाट्स की कृषि भूमि की पैमाईश कर निशानदेही देने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़